राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान

पूर्व सूचित सहमति प्रपत्र

हनी बी नेटवर्क

पारंपरिक ज्ञान

प्रिय पारंपरिक ज्ञानधारक(को),

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (रानप्र) की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फरवरी २००० में की गई। एक स्वायत्त संस्था के रूप में रानप्र की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि व्यक्तियों/समुदायों के गैर-सहायता प्राप्त नवप्रवर्तनों और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान की पहचान की जाए तथा उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की जाए। इस पहल से पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होगा और साथ ही नवप्रवर्तकों तथा ज्ञानसंपन्न लोगों को समाज में उचित स्थान भी प्राप्त होगा। यह पहल भारत को एक नवप्रवर्तनशील समाज बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगी। रानप्र, तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों और पारंपरिक ज्ञान के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल होने वाले नवप्रवर्तनों/पारंपरिक ज्ञान के प्रकटीकरण और/या मूल्य परिवर्धन के लिए, सभी नवप्रवर्तकों / ज्ञानप्रदाताओं से लिखित सहमति व प्राधिकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस पूर्व सूचित सहमति प्रपत्र में दिए गए विभिन्न विकल्पों को समझने के लिए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इसकी मदद से यह प्रपत्र भरना आसान होगा। रानप्र विश्वास दिलाता है कि हमारा प्रत्येक कदम आपके द्वारा बताई गई शर्तों पर ही आधारित होगा। यदि हम आपकी शर्तों में किसी तरह का परिवर्तन चाहेंगे तो उसके लिए भी आपसे लिखित सहमति ली जाएगी।

(हस्ताक्षर)

रानप्र की मुहर

संदर्भ संख्या : .....

पारंपरिक ज्ञानधारक/कों का नाम : ----------

पारंपरिक ज्ञान/हर्बल व्यवहार का नाम : ----------

कृपया उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएँ

आपको इस ज्ञान/व्यवहार के बारे में कैसे पता चला

क) बुजुर्गों से ☐ ख) स्वयं से ☐ ग) परिवार में चला आ रहा है ☐ घ) समुदाय ☐

*यदि आपने क, ख या ग खाने में निशान लगाया हो तो कृपया **खण्ड १** भरें। यदि घ खाने में निशान लगाया हो तो **खण्ड २** भरें।*

खण्ड १

	हां	नहीं
क) आपके पारंपरिक ज्ञान/व्यवहार में रुचि दिखाने वालों को क्या आपका पता दिया जा सकता है?	☐	☐
ख) क्या रानप्र आपके पारंपरिक ज्ञान को इंटरनेट या हनी बी पत्रिका या अन्य किसी माध्यम में प्रदर्शित/प्रकाशित कर सकता है?	☐	☐
ग) यदि हाँ, तो किस हद तक आप अपने पारंपरिक ज्ञान को बाँटना चाहते हैं?	☐	☐

१. आंशिक प्रकटीकरण/सारांश रुप में ☐

अथवा

२. पूर्ण प्रकटीकरण ☐

घ) क्या आप चाहेंगे कि रानप्र आपके पारंपरिक ज्ञान पर आगे शोध कार्य करे (यदि यह विकल्प लागू हो)।

यदि हाँ, तो कृपया बताएं किस प्रकार .....

.....

खण्ड २

क) समुदाय के मुखिया का नाम -

(१) चुना हुआ .....
(२) परंपरागत .....

ख) क्या इच्छुक लोगों को आपके समुदाय का पता बताया जा सकता है ? हाँ ☐ नहीं ☐

ग) क्या रानप्र आपके पारंपरिक ज्ञान को इंटरनेट या हनी बी पत्रिका या अन्य किसी माध्यम में प्रदर्शित/प्रकाशित कर सकता है? हाँ ☐ नहीं ☐

घ) यदि हाँ, तो किस हद तक रानप्र अपने पारंपरिक ज्ञान को बाँट सकता है?

१. आंशिक प्रकटीकरण/सारांश रुप में ☐

अथवा

२. पूर्ण प्रकटीकरण ☐

ङ) रानप्र में समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को भेजने से पहले क्या स्थानीय समुदाय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है? हाँ ☐ नहीं ☐

च) उल्लिखित पारंपरिक ज्ञान/सामुदायिक ज्ञान किस हद तक संबंधित समुदाय/यों के बीच विदित और/या व्यवहार में है?

(१) कुछ लोगों को ज्ञात है ☐ कई लोगों को ज्ञात है ☐ व्यापक रूप से ज्ञात है ☐

(२) कुछ लोग उपयोग करते हैं ☐ कई लोग उपयोग करते हैं ☐ व्यापक उपयोग में है ☐

छ) क्या सामुदायिक ज्ञान/व्यवहार में कोई सुधार किया गया है? हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, तो कृपया बताएँ किसके द्वारा -

स्वयं ☐ अन्य व्यक्ति द्वारा ☐ ज्ञात नहीं ☐

ज) क्या संबंधित समुदाय को पारंपरिक ज्ञान में किए गए सुधार से अवगत करा दिया है? हाँ ☐ नहीं ☐

घोषणा : मैंने/हमने यह पूर्व सूचित सहमति प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में बताई गई बातें समझ ली हैं। इस प्रपत्र के सभी दिए गए विकल्पों में चयन मैंने/हमने स्वेच्छा से किया है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि यदि यह पारंपरिक ज्ञान पहले से सुविदित हो या सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हो तो इस प्रपत्र में लगाई गई शर्तें लागू नहीं होंगी और इसके प्रसार या अनुप्रयोग संबंधी प्रतिबंध भी लागू नहीं होंगे। मैं/हम रानप्र को आश्वस्त करता/करती/करते हूँ/हैं कि ऊपर बताई गई सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

हस्ताक्षर ----------

समुदाय / पारंपरिक ज्ञानधारक का नाम और पता ----------

साक्षी/सहयोगी/स्काउट/रानप्र प्रतिनिधि का नाम व पता : ----------

---

साक्षी/सहयोगी/स्काउट/रानप्र प्रतिनिधि के हस्ताक्षर : ----------

स्थान : ----------

दिनांकः ----------

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान

बंगला नं. १, सैटेलाइट कॉम्पलेक्स, प्रेमचंद नगर मार्ग, वस्त्रापुर, अहमदाबाद, गुजरात - ३८० ०१५, भारत

फोन : ०७९-२६७३ ३५०१, २६७ २०९५, फैक्स ०७९-२६७३ १९०३, ईमेल : campaign@nifindia.org वेबसाइट : www.nifindia.org

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद

पूर्व सूचित सहमति हेतु व्याख्यात्मक जानकारी

पारंपरिक ज्ञान

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (रानप्र) को इस बात की बेहद खुशी है कि आपने अपने प्रयासों द्वारा विकसित या सामुदायिक ज्ञान पर आधारित पारंपरिक ज्ञान/व्यवहार को हमारे साथ बाँटा है। आपके ज्ञान को अन्य इच्छुक लोगों के साथ बाँटने के लिए हमें आपकी लिखित पूर्व सूचित सहमति की आवश्यक्ता है। अन्य लोगों में जनसामान्य, शोध विशेषज्ञ, संभावनाशील निवेशक या उद्यमी, समुदाय, इंटरनेट/रेडियो/टी.वी./पत्र-पत्रिकाएं/अखबार भी हो सकते हैं।

हमारा उद्देश्य दोहरा है – हम आपके पारंपरिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार भी करना चाहते हैं तथा संरक्षण भी। ज्ञान के प्रचार-प्रसार से व्यक्ति और समाज को सीधे-सीधे लाभ होगा जबकि ज्ञान के संरक्षण व व्यवसायीकरण से भी लाभ तो होगा लेकिन उसके लिए कुछ कीमत भी चुकानी होगी। यदि हमारे देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के तुरंत मिलने की व्यवस्था होती तो इस तरह के अधिकार तुरंत मिल जाते, तब आपके औद्योगिक अनुप्रयोग वाले अप्रकट स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना आसान होता। परन्तु हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है इसलिए हमें आपसे यह पूर्व सूचित सहमति लेनी पड़ रही है। जिससे हम उसी दिशा में कार्य करें जैसा आप उचित समझते हैं। रानप्र के ज्ञान प्रदाताओं (व्यक्ति या समुदाय) और तृणमूल नवप्रवर्तकों के प्रति अपने नैतिक दायित्वों के मद्देनजर भी हम पूर्व सूचित सहमति लेना आवश्यक समझते हैं।

आपकी इच्छानुसार गोपनीयता बरतना व आपके निर्देशों के आधार पर कार्य करना रानप्र का नैतिक कर्त्तव्य है। हमारा उद्देश्य है कि तृणमूल नवप्रवर्तनों व पारंपरिक ज्ञान की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रतिभागी के रूप में और एक ज्ञान प्रदाता के रूप में आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो। हालाँकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे बाध्य होकर हम यह कर रहे हैं। अपितु रानप्र ने एक नैतिक व्यवहार के तहत ज्ञान प्रदाताओं से पूर्व सूचित सहमति लेने का निर्णय किया है। इससे एक विश्वास का माहौल सभी हितधारकों के बीच कायम होगा – चाहे नवप्रवर्तक हों या मूल्य परिवर्धन करने वाले लोग हों या वाणिज्यिक अथवा गैर-वाणिज्यिक आधार पर प्रसार में इच्छुक लोग हों। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि ***यदि आपका ज्ञान, नवप्रवर्तन या व्यवहार पहले से ही सुविदित हो और सार्वजनिक हो तो उस स्थिति में इसके प्रसार या अनुप्रयोग पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध लागू नहीं होंगे***।

परिभाषा :

परंपरागत ज्ञान ऐसा ज्ञान, नवप्रवर्तन या व्यवहार है जो हुनरमंद लोगों, वैद्यों, कारीगरों, दस्तकारों इत्यादि द्वारा अकेले, समूह में अथवा जनसमुदाय द्वारा काफी लम्बे समय पहले अथवा कई पीढ़ियों पहले विकसित किया गया हो।

पूर्व सूचित सहमति के निहितार्थ

१) ज्ञान प्रदाता को, जिसके लिए सहमति माँगी जा रही है, उससे संबंधित सभी सूचना से पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। ऐसा स्थानीय भाषा में अथवा अन्य संचार माध्यम से किया गया है।

२) पारंपरिक ज्ञान धारक यह समझता है कि वह उसके द्वारा इंगित की गई गतिविधियों पर रानप्र को कार्य करने देने के लिए लिखित में सहमत है।

३) ज्ञान धारक यह समझता है कि यह सहमति स्वयंप्रेरित है एवं भविष्य में उसके द्वारा परिवर्तित भी की जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सहमति प्रपत्र भरकर एवं हस्ताक्षर करके रानप्र को भेजने के बाद भी आप इसे परिवर्तित करने के लिये स्वतंत्र हैं तथा मूल्य शृंखला या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया में भाग न लेने का निश्चय कर सकते हैं। परंतु हो सकता है कि ऐसे निर्णय हमें प्राप्त होने से पहले हमारे द्वारा आपकी पूर्व में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत अन्य लोगों/संस्थानों के साथ किए गए समझौतों को प्रभावित नहीं कर सकें। रानप्र आपकी सहमति के अनुसार कार्य करने एवं उसकी प्रगति की सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।

खण्ड १

क) किसी तीसरे पक्ष को पता बताना

अक्सर लोगों को कोई पारंपरिक ज्ञान पसंद आता है तो वे उसके बारे में अधिक जानने को इच्छुक होते हैं। कई बार यह इच्छा महज जिज्ञासा होती है परन्तु कई बार मूल्य परिवर्धन के लिए या आगे शोध के लिए या इसके बाज़ार अवसरों का पता लगाने के लिए लोग इसमें इच्छुक होते हैं।

पता बताने से लाभ :

- इच्छुक लोग आपसे सीधे संपर्क कर पाएँगे और इस तरह उनका आप तक पहुँचने का श्रम व व्यय कम हो जाएगा।
- आप रानप्र की राय के बिना अपनी शर्तों के मुताबिक समझौता कर सकते हैं।
- आपके विचारों का बिना किसी प्रकार की त्रुटि या फेरबदल के सीधा प्रसार संभव होगा।

पता बताने से हानि :

- किसी तीसरे पक्ष से बात करते या समझौता करते समय आपको
  (क) हो सकता है कि सूचना प्राप्त करने वाले की ईमानदारी का पता लगाना मुश्किल हो
  (ख) संभव है तीसरा पक्ष बहुत कम पैसों में आपका नवप्रवर्तन/विचार खरीद ले
  (ग) अपने हितों के अनुरूप उचित समझौता तैयार करने में मुश्किल हो सकती है

यदि आप अपना पूरा पता नहीं देना चाहते हैं तो हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। हम समझौते की प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि संदिग्ध लोग आप तक न पहुँचें। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि तीसरे पक्ष से आप स्वयं बात करें, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो आप रानप्र से संपर्क कर सकते हैं।

ख) पारंपरिक ज्ञान को दूसरों के साथ बाँटना : वेबसाइट या हनी बी के प्रकाशनों या फिल्म जैसे किसी अन्य माध्यम से दूसरों के समक्ष पूर्ण या आंशिक प्रकटीकरण

ग) प्रकटीकरण के प्रकार :

अ) आंशिक प्रकटीकरण या सारांश रूप में प्रकटीकरण

लाभ :

- संभावनाशील उद्यमी, निवेशक या अन्य सहयोगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्त्ता सहित, पारंपरिक ज्ञान में सुधार या समाज में इसके वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक आधार पर प्रसार के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। सारांश रूप में प्रकटीकरण किस प्रकार किया जाए, इसका एक उदाहरण हर्बल प्रौद्योगिकी के मामले में यह हो सकता है : "स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित मधुमेह का एक हर्बल समाधान"। यंत्र के मामले में यह कुछ इस प्रकार हो सकता है : "मोटरसाइकिल चालित जुताई यंत्र"।

- आपके स्वयं के या बाहरी समुदायों के व्यक्ति आपके पारंपरिक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और प्रशंसा करेंगे। इन व्यक्तियों की प्रशंसा से जो पहचान मिलेगी वह पहचान धन अथवा पुरस्कार से नहीं मिल सकती।

- यदि आपके पारंपरिक ज्ञान की संक्षिप्त जानकारी रोचक लगी तो संभव है मीडिया (अखबार, टी.वी., रेडियो) के लोग अधिक जानकारी पाने के लिए आपसे सम्पर्क करें।

हानि :

- उत्पाद के अनूठेपन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में संभव है कि उत्पाद के विकास/वाणिज्यीकरण हेतु संभावनाशील निवेशक, उद्यमी या वैज्ञानिक आपसे सम्पर्क ही न करें।

आ) पूर्ण प्रकटीकरण

लाभ

- कोई भी तीसरा पक्ष आपके पारंपरिक ज्ञान के बारे में अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपसे सीधा संपर्क कर सकता है।
- आपका पारंपरिक ज्ञान पाठकों/दर्शकों/श्रोताओं के बीच पहचान, प्रशंसा एवं प्रचार पा सकता है।
- स्थानीय संगी-साथियों और व्यापक समुदाय के बीच पारस्परिक सूचना-प्रसार से हो सकता है कि लोग प्रकट किए गए ज्ञान पर प्रयोग करें या इसका उपयोग करना आरंभ कर दें। ऐसा होने पर स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- हो सकता है कि विस्तृत जानकारी देने के कारण उपभोक्ताओं या मूल्य शृंखला के संभावित सहयोगियों के बीच उत्पाद की मांग बढ़ जाए। कुछ मामलों में, पारंपरिक ज्ञान के इस्तेमाल की प्रक्रिया जटिल होती है या सभी सामग्रियाँ स्थानीय तौर पर नहीं मिल पाती हैं इसलिए उपयोगकर्ताओं को इसका इस्तेमाल करना या स्वयं बनाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में लोग इसे पारंपरिक ज्ञान धारक से खरीदना चाहेंगे और इस तरह मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी।
- उत्पाद के आगे विकास/वाणिज्यीकरण के लिए संभावनाशील उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक इत्यादि आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

हानि :

- पूर्ण प्रकटीकरण से आपकी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है।
- उत्पाद के विकास/वाणिज्यीकरण हेतु संभावनाशील निवेशक, उद्यमी या वैज्ञानिक यदि प्रकट की गई जानकारी के आधार पर स्वयं उत्पाद विकसित करने में सक्षम हुए तो उस स्थिति में संभव है वे आपसे सम्पर्क ही न करें ।
- हो सकता है अन्य व्यक्ति इससे फायदा उठा लें और आपको इसका कोई श्रेय ही नहीं दें।

घ) आपके पारंपरिक ज्ञान पर शोध

यदि इस विकल्प का चयन किया जाता है तो पारंपरिक ज्ञान तभी बाँटा जा सकता है जब ज्ञान प्रदाता द्वारा स्वयं या किसी शोध संस्थान द्वारा इसे शोध इत्यादि कर अधिक प्रभावी बनाया गया हो। यदि इस विकल्प को आपके द्वारा प्रपत्र में चिह्नित किया जाता है तो बिना आगे शोध किए पारंपरिक ज्ञान को किसी तीसरे पक्ष के साथ नहीं बाँटा जाएगा। मूल्य परिवर्धन में विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन, प्रोटोटाइप विकास और परीक्षण इत्यादि शामिल होंगे।

इस विकल्प का नुकसान यह है कि यदि रानप्र या पारंपरिक ज्ञानधारक किसी वजह से (जैसे संसाधनों की कमी या प्राथमिकता न दे पाने के कारण) मूल्य परिवर्धन नहीं कर पाए तो यह पारंपरिक ज्ञान उतने समय तक समाज के सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। प्रकटीकरण न हो पाने के कारण कोई शोधकर्ता, जो मूल्य परिवर्धन, प्रदर्शन में सुधार इत्यादि कार्यों में मददगार हो सकता है, मदद नहीं कर पाएगा।

खण्ड २

ख) किसी तीसरे पक्ष को पता बताना

अक्सर लोगों को कोई पारंपरिक ज्ञान पसंद आता है तो वे उसके बारे में अधिक जानने को इच्छुक होते हैं। कई बार यह इच्छा महज जिज्ञासा होती है परन्तु कई बार मूल्य परिवर्धन के लिए या आगे शोध के लिए या इसके बाज़ार अवसरों का पता लगाने के लिए लोग इसमें इच्छुक होते हैं।

पता बताने से लाभ :

- इच्छुक लोग समुदाय के प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क कर पाएँगे और इस तरह उनका समुदाय तक पहुँचने का श्रम व व्यय कम हो जाएगा।
- समुदाय रानप्र की राय के बिना अपनी शर्तों के मुताबिक समझौता कर सकता है।
- समुदाय के विचारों का बिना किसी प्रकार की त्रुटि या फेरबदल के सीधा प्रसार संभव होगा।

पता बताने से हानि :

- किसी तीसरे पक्ष से बात करते या समझौता करते समय समुदाय को
  (क) हो सकता है कि सूचना प्राप्त करने वाले की ईमानदारी का पता लगाना मुश्किल हो
  (ख) संभव है तीसरा पक्ष बहुत कम पैसों में आपका नवप्रवर्तन/विचार खरीद ले
  (ग) अपने हितों के अनुरूप उचित समझौता तैयार करने में मुश्किल हो सकती है

यदि आपका समुदाय अपने प्रतिनिधियों का पता नहीं देना चाहता है तो हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। हम समझौते की प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि संदिग्ध लोग आपके समुदाय तक न पहुँचें। फिर भी यदि आपका समुदाय चाहता है कि तीसरे पक्ष से आप स्वयं बात करें, ऐसी स्थिति में समुदाय को कभी भी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो आप रानप्र से संपर्क कर सकते हैं।

ग) पारंपरिक ज्ञान को दूसरों के साथ बाँटना : वेबसाइट या हनी बी के प्रकाशनों या फिल्म जैसे किसी अन्य माध्यम से दूसरों के समक्ष पूर्ण या आंशिक प्रकटीकरण

घ) प्रकटीकरण के प्रकार :

अ) आंशिक प्रकटीकरण या सारांश रूप में प्रकटीकरण

लाभ :

- संभावनाशील उद्यमी, निवेशक या अन्य सहयोगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्त्ता सहित, पारंपरिक ज्ञान में सुधार या समाज में इसके वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक आधार पर प्रसार के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। सारांश रूप में प्रकटीकरण किस प्रकार किया जाए, इसका एक उदाहरण हर्बल प्रौद्योगिकी के मामले में यह हो सकता है : "स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित मधुमेह का एक हर्बल समाधान"। यंत्र के मामले में यह कुछ इस प्रकार हो सकता है : "मोटरसाइकिल चालित जुताई यंत्र"।

- आपके स्वयं के या बाहरी समुदायों के व्यक्ति आपके पारंपरिक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और प्रशंसा करेंगे। इन व्यक्तियों की प्रशंसा से जो पहचान मिलेगी वह पहचान धन अथवा पुरस्कार से नहीं मिल सकती।

- यदि पारंपरिक ज्ञान की संक्षिप्त जानकारी रोचक लगी तो संभव है मीडिया (अखबार, टी.वी., रेडियो) के लोग अधिक जानकारी पाने के लिए आपके समुदाय से संपर्क करें।

हानि :

- उत्पाद के अनूठेपन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में संभव है कि उत्पाद के विकास/वाणिज्यीकरण हेतु संभावनाशील निवेशक, उद्यमी या वैज्ञानिक आपसे संपर्क ही न करें।

आ) पूर्ण प्रकटीकरण

लाभ :

- कोई भी तीसरा पक्ष पारंपरिक ज्ञान के बारे में अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपके समुदाय से सीधा संपर्क कर सकता है।
- आपके समुदाय का पारंपरिक ज्ञान पाठकों/दर्शकों/श्रोताओं के बीच पहचान, प्रशंसा एवं प्रचार पा सकता है।
- स्थानीय तौर पर एक दूसरे के बीच और व्यापक समुदाय में पारस्परिक सूचना-प्रसार से हो सकता है कि लोग प्रकट किए गए ज्ञान पर प्रयोग करें या इसका उपयोग करना आरंभ कर दें। ऐसा होने पर स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- हो सकता है कि विस्तृत जानकारी देने के कारण उपभोक्ताओं या मूल्य शृंखला के संभावित सहयोगियों के बीच उत्पाद की मांग बढ़ जाए। कुछ मामलों में, पारंपरिक ज्ञान के इस्तेमाल की प्रक्रिया जटिल होती है या सभी सामग्रियाँ स्थानीय तौर पर नहीं मिल पाती हैं इसलिए उपयोगकर्ताओं को इसका इस्तेमाल करना या स्वयं बनाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में लोग इसे पारंपरिक ज्ञान धारकों से खरीदना चाहेंगे और इस तरह मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी।
- उत्पाद के आगे विकास/वाणिज्यीकरण के लिए संभावनाशील उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक इत्यादि आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

हानि :

- पूर्ण प्रकटीकरण से आपकी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है।
- उत्पाद के विकास/वाणिज्यीकरण हेतु संभावनाशील निवेशक, उद्यमी या वैज्ञानिक यदि प्रकट की गई जानकारी के आधार पर स्वयं उत्पाद विकसित करने में सक्षम हुए तो उस स्थिति में संभव है वे आपके समुदाय से संपर्क ही न करें।
- हो सकता है अन्य व्यक्ति इससे फायदा उठा लें और आपके समुदाय को इसका कोई श्रेय ही नहीं दें।

ङ) रानप्र के साथ के साथ पारंपरिक ज्ञान बाँटने के लिए समुदाय की सहमति

कई बार सामुदायिक ज्ञान और व्यवहार वैयक्तिक रूप से एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं, हो सकता है इसमें ऐसे लोग भी शामिल हों जिन्होंने सामुदायिक ज्ञान या व्यवहार में कोई उल्लेखनीय सुधार न किया हो। बहरहाल, आमतौर पर हम चाहते हैं कि सामुदायिक पारंपरिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें -

(क) समुदाय के ज्ञान को रानप्र के साथ बाँटने से पूर्व समुदाय के मुखियाओं की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर किए सुधारों के बाद भी समुदाय को इसकी जानकारी देना आवश्यक है।

(ख) इस पारंपरिक ज्ञान के बारे में समुदाय में या समुदायों के बीच कितनी जानकारी है और यह कितना उपयोग में है, इसकी भी जानकारी दें तो अच्छा रहेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति सामुदायिक पारंपरिक ज्ञान की जानकारी दे सकता है परंतु (यदि ज्ञान सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं है) ऐसी स्थिति में इस पर समुदाय के मुखिया/पारंपरिक प्रातिनिधिक संस्था का ही अधिकार होगा। लेकिन यदि (१) इसमें किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर सुधार किया गया है या (२) यदि ज्ञान का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इसका विशेषज्ञ है या व्यक्तिगत तौर पर उपयोग कर रहा है; तो इन दोनों स्थितियों में समुदाय और व्यक्ति के बीच लाभ की साझेदारी होगी।

च) व्यवहार कितना प्रचलन में है और लोग इसके बारे में कितने जागरूक हैं

- यदि कोई पारंपरिक ज्ञान/व्यवहार सौ में से १०-१५ लोगों में पूर्व ज्ञात और/अथवा प्रचलित है तो उसे **कुछ** लोगों में ज्ञात/प्रचलित माना जाएगा।
- यदि कोई पारंपरिक ज्ञान/व्यवहार सौ में से १५ - ५० लोगों में पूर्व ज्ञात और/अथवा प्रचलित है तो उसे **कई** लोगों में ज्ञात/प्रचलित माना जाएगा।
- यदि कोई पारंपरिक ज्ञान/व्यवहार सौ में से ५० से अधिक लोगों में पूर्व ज्ञात और/अथवा प्रचलित है तो उसे **अनेक** लोगों में व्यापक रुप से ज्ञात/प्रचलित माना जाएगा।

छ) पारंपरिक ज्ञान में संशोधन/समुदाय को सूचना

उन मामलों में जहाँ पारंपरिक ज्ञान में व्यक्तिगत प्रयास से संशोधन किया गया है या केवल एक व्यक्ति इस ज्ञान में पारंगत है या इसे उपयोग में लाता है तो लाभ, यदि कोई हों तो, समुदाय और व्यक्ति के बीच साझा होंगे। यदि पारंपरिक ज्ञान में संशोधन किसी ज्ञानधारक के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो रानप्र संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर संशोधन की पूर्ण जानकारी एकत्रित करने व उसे भी लाभ में भागीदार बनाने के प्रयास में पहल कर सकता है।

यह स्पष्ट है कि रानप्र को प्रविष्टि भेजने वाले प्रत्येक समुदाय प्रतिनिधि या व्यक्तिगत संचारक को इन शर्तों को पूरा करना होगा। रानप्र लापरवाही या उपेक्षा भरे व्यवहार के बजाय आपसी विश्वास के साथ काम करेगा और उम्मीद है कि अंततोगत्वा इस तरह का व्यवहार पूरे देश में अमल में आने लगेगा। रानप्र के पास कोई ऐसी मशीनरी तो नहीं है कि इस व्यवहार को प्रत्येक प्रविष्टि में सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन हम यह आशा ज़रूर करते हैं कि जैसे-जैसे समाज में आम लोगों के ज्ञान को प्राप्त करने के नैतिक तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी तो अधिक से अधिक लोग इन शर्तों का पालन करने लगेंगे।

रानप्र द्वारा सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पारंपरिक ज्ञानधारक/कों को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराती है जिसके आधार पर किसी सोचे-समझे निर्णय तक पहुँचना आसान होता है। यदि आपकी ओर से अपूर्ण सूचना दी जाती है तो भी हम आपसे प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही आगे काम करने के लिए बाध्य होते हैं। जब कहीं कोई नवप्रवर्तन या पारंपरिक ज्ञान किसी अन्य के द्वारा संकलित किया जाता है तो संकलनकर्ता पूर्व सूचित सहमति और इसके निहितार्थों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास करता है।